


कृष्ण कुमार / संतोष देवी - 2022/2 192/2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
13/12/23	<p>पत्रावली पेश। प्रकरण में रैस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलांत शेष रैस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। वाकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सकें पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 28/12/24 को पेश हों।</p> <p><i>DDL</i></p>	<p>व्योक्ति 1907 27.2.24</p>
20/12/24	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभावक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 13/12/24 को पेश हो।</p>	
13.5.24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को हिला दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली खड़े / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28/12/24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p> <p><i>DL</i></p>	
28/8/24	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलांत को पूर्व पेशी पर हदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांत ने रैस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांत अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांत आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल सुधार होकर न्याय ने कार्य होकर बाद तलबी तकमील दाखिल दफ्तार हो।</p> <p><i>DL</i></p>	 <p>एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प इन्चार्ज)</p>